न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 57/2019

अपीलान्ट्स

1. खुमाराम पुत्र माधाराम
2. प्रभुराम पुत्र माधाराम
3. भीयाराम पुत्र माधाराम
4. मुनकी देवी पत्नी माधाराम
5. करनाराम पुत्र अमराराम

जातियान जाट, निवासीगण शिवगांव, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 27.02.2018 बमुकदमा संख्या 23/2018 अनवार सरकार बनाम खुमाराम व अन्य जिसके द्वारा उन्होनें अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये खसरा नं0 402 रकबा 1 बीघा गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माना दण्डित कर दिया के विरूद्ध।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चेतनराम जाखड़ उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई अनुपस्थित नहीं।

–: आदेश :– दिनांक :– **03.07.2019**

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 27.02.2018 बमुकदमा संख्या 23/2018 अनवार सरकार बनाम खुमाराम व अन्य जिसके द्वारा उन्होनें अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये खसरा नं0 402 रकबा 1 बीघा गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माना दण्डित कर दिया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवगांव तहसील लूणी में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं0 400 रकबा 17.13 बीघा आई हुई है। अपीलान्ट के खातेदारी भूमि खसरा नं0 400 के दक्षिण में कटाणी रास्ता खसरा नं0 402 एवं उसके बाद खसरा नं0 403 आई हुई है। जिस पर गोपाराम एवं मगनाराम वगैरा ने कब्जा कर रखा है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में धोरा बताकर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड उप तहसीलदार झंवर से प्राप्त किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री चेतनराम जाखड़ ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम शिवगांव तहसील लूणी में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं0 400 रकबा 17.13 बीघा आई हुई है। अपीलान्ट के खातेदारी भूमि खसरा नं0 400 के दक्षिण में कटाणी रास्ता खसरा नं0 402 एवं उसके बाद खसरा नं0 403 आई हुई है। जिस पर गोपाराम एवं मगनाराम वगैरा ने कब्जा कर रखा है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में धोरा बताकर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रास्ता खसरा नं0 402 पर तीस साल से मुड़िया सड़क से निर्माण किया गया था और इस सड़क की पुनः मरम्मत भी की गई। यह रास्ता वक्त सैटलमेन्ट के समय से जिस स्थान पर था उसी स्थान पर चल रहा है। अपीलान्ट अभिभाषक का यह भी कथन है कि खसरा नं0 403 व 404 के कब्जेदारों ने अपीलान्ट की खातेदारी 7 बीघा भूमि कब्जा करने की नियत से पटवारी हल्का कालीजाल से मिलकर रास्ता खसरा नं0 402 को चालू रास्ते से करीब 150 फीट अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में होना बताकर अपीलान्ट का एक बीघा कब्जा धोरा कर अतिक्रमण की रिपोर्ट उप तहसीलदार झंवर को प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय उप तहसीलदार झंवर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखली करने जैसा आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट (अप्राथी) को किसी प्रकार का कोई नोटिस विधिवत् तामिल नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस को देखने से किसी प्रकार की कोई तामिली रिपोर्ट अंकित नही है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी स्पष्ट किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.03.2016 को जो पैमाइश की गई। इस पैमाइश के दौरान अपीलान्ट को सूचित नहीं किया और अपीलान्ट की गैरहाजरी में मौका पैमाइश रिपोर्ट तैयार की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 व 60 में वर्णित दिशा–निर्देशो

की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई और एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली मुकदमा संख्या 23/2018 का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का काजीजाल ने ग्राम शिवगांव के खसरा नं0 402 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता की रिपोर्ट उप तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रस्तुत की गई और गैर सायल को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट (अप्रार्थी) को जारी नोटिस पर किसी प्रकार की कोई विधिवत् तामिली रिपोर्ट नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.02.2018 को गैर सायल की अनुपस्थिति में बताकर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर निर्णत पारित कर दिया है। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना नोटिस तामिली के एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार झंवर के प्रकरण संख्या 23/2018 निर्णय दिनांक 27.02.2018 को पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार झंवर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा , 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधिसमत् निर्णय पारित करे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।